

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1655 / 2015 / उदयपुर

अपील संख्या - 1656 / 2015 / उदयपुर

अपील संख्या - 1657 / 2015 / उदयपुर

अपील संख्या - 1658 / 2015 / उदयपुर

मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड,
यशद भवन, उदयपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान वृत-तृतीय, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री बी.एल.शर्मा,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से


निर्णय दिनांक : 23 / 08 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी की ओर से उक्त अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत-III, द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों (कर एवं ब्याज) को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. इन चारों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिकरापवंचन वृत-जयपुर के अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म के सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि उसके द्वारा मैसर्स यश कैमिकल्स चित्तौड़गढ़ से लाइम का क्रय किया गया है, परन्तु यश कैमिकल्स द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में उक्त अपीलार्थी को किसी तरह का विक्रय किया जाना प्रदर्शित नहीं किया है अतः उस माल पर क्लेम की गई आई.टी.सी को रिवर्स कर उस राशि की मांग कायम की गई एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुये आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया, परन्तु आई.टी.सी को रिवर्स किये जाने सम्बन्धी कर निर्धारण एवं ब्याज को यथावत रखा गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील संख्या.....2





4. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उक्त विवादित कर निर्धारण आदेशों के जरिये सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत्त तृतीय, द्वारा एक स्वतंत्र आदेश के जरिये अपीलार्थी के सर्वेक्षण में पाये गये यश कैमिकल्स के बिलों में दर्शाई कर राशि को स्वयं के स्तर पर आई.टी.सी के रूप में क्लेम लेना मानकर उस राशि को रिवर्स करते हुये मांग सृजित की गई थी एवं शास्ति का भी आरोपण किया गया था। कथन किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के तहत "विक्रेता व्यवसायी द्वारा कर जमा नहीं कराने के आधार पर उस राशि का आई.टी.सी क्लेम प्राप्त योग्य नहीं मानते हुये उसे रिवर्स करते हुये उतनी राशि मय ब्याज के राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये गये थे, जबकि अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी की पूरी राशि का क्लेम नहीं लिया था बल्कि राशि अधिक होने से उसे आगे अग्रेषित किया गया था। अतः विवादित क्लेम राशि को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये कुल क्लेम में से कम किया जाना था जो कि कर निर्धारण आदेश में गणनीय होता है, जबकि उक्त विवादित कर निर्धारण आदेशों के जरिये अलग से उस राशि को जमा कराने का आदेश दिया है, जो अनुचित होने से इस मांग को समाप्त कर उस राशि के बराबर राशि उनके क्लेम में से कम करने का आदेश करने का निवेदन करते हुये यह भी बताया कि वह क्लेम राशि उनके नियमित कर निर्धारण आदेश में कम की जा चुकी है।

5. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उक्त तथ्य के बारे में अपीलीय अधिकारी को भी जानकारी दी गई थी कि अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गई उक्त विवादित एवं अस्वीकृत योग्य राशि उनके कुल आई.टी.सी क्रेडिट में से कम की जा सकती है, क्योंकि उनके पास शुद्ध देय कर से अधिक आई.टी.सी सभी वर्षों में उपलब्ध थी, जो उक्त समस्त वर्षों के नियमित कर निर्धारण आदेशों से पुष्टि योग्य है, उसके बावजूद भी अपीलीय अधिकारी द्वारा रिवर्स की गई आई.टी.सी की राशि की डिमांड को यथावत रखा गया जो तथ्यों के अधीन त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुये व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अपास्त करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में केवल तथ्यों की जांच का बिन्दू विचारणीय है। इन प्रकरणों में इस बिन्दू पर विवाद नहीं है कि यश कैमिकल्स द्वारा जारी बिलों में दर्शाई कर राशि यदि राजकोष में जमा नहीं है तो उस राशि को आई.टी.सी के रूप में क्लेम अपीलार्थी व्यवसायी को देय नहीं था। इन प्रकरणों में अपीलार्थी का यह कथन है कि उनके कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों में उस राशि के क्लेम को अस्वीकृत कर उसे कम किया जा चुका है।





—: 3 :-

अपील संख्या — 1655, 1656, 1657, 1658 / 2015 / उदयपुर

हालांकि इस तथ्य की पुष्टि हेतु हमारे समक्ष उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, परन्तु यदि इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उस विवादित राशि का क्लेम कर निर्धारण आदेश में कम कर दिया गया है तो उसका अलग आदेश कर उसी राशि की मांग कायम करना आधारहीन एवं दोहरी कमी की जाना है। फलतः उक्त समस्त कर निर्धारण आदेशों में रिवर्स की गई आई.टी.सी क्लेम की मांग राशि को अपास्त कर, समस्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर ये निर्देश दिये जाते हैं कि वे नियमित कर निर्धारण अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर यह सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गई राशि को यदि अस्वीकार कर उसे कुल क्लेम में से घटा दिया गया है एवं उसका समायोजन नहीं दिया गया है तो वे कोई भी डिमांड कायम न करें, परन्तु यदि उक्त अदेय क्लेम को नियमित कर निर्धारण आदेशों में प्रदान हुआ है एवं उसका समायोजन भी लिया जा चुका है तो उस राशि की डिमांड पुनः कायम करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो कर राशि विक्रेता द्वारा राजकोष में जमा नहीं करवाई गई है, उसका क्लेम क्रेता का अनुज्ञेय नहीं है परन्तु उस राशि का क्लेम यदि नियमित कर निर्धारण आदेश में कम कर दिया गया है अर्थात् क्लेम नहीं दिया गया है तब अलग से उसी राशि की आई.टी.सी को रिवर्स कर डिमांड कायम नहीं की जा सकती।

फलतः उक्त कर निर्धारण एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों में यथावत रखे गये कर एवं ब्याज की सीमा तक के निर्णय को अपास्त कर समस्त प्रकरणों को उक्त निर्देशों के अनुसार जांच कर प्रकरणों का निस्तारण किया जाने का निर्देश दिया जाता है।


(के.एल.जैन)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष